

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

**कार्यालय आदेश**

राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में विश्व बैंक सम्पोषित "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम- द्वितीय चरण" (TEQIP-II) के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन एकक (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एकक) के दिशा-निदेश के आलोक में विभागीय स्तर पर निम्न प्रकार से राज्य परियोजना फ़ैसिलिटेशन इकाई का गठन किया जाता है:-

1	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	परियोजना सलाहकार
2	डा० द्विजेंद्र नारायण सिंह, संयुक्त सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	परियोजना समन्वयक
3	डा० कुमार सुरेंद्र डप निदेशक (यो०) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	परियोजनान्तर्गत योजना एवं बजट
4	डा० अशोक कुमार, सहायक निदेशक (वि०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	परियोजनान्तर्गत प्रापण (Procurement)
5	डा० कुमारी अनिमा, सहा० सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	परियोजनान्तर्गत उद्योग-संस्थान सहभागिता तथा छात्रों के नियोजन संबंधी कार्य
6	डा० अनन्त कुमार, सहायक निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	परियोजनान्तर्गत शैक्षणिक कार्य
7	श्री चंद्रभूषण सिंह निबंधक सह लेखा पदाधिकारी	परियोजनान्तर्गत वित्तीय प्रबंधन
8	आई० टी० मैनेजर	परियोजना संबंधी कार्य
9	कंप्यूटर आपरेटर 9.1 श्री सत्येंद्र कुमार 9.2 सुश्री सोनी	परियोजनान्तर्गत कार्य
10	प्रशाखा पदाधिकारी	योजना एवं बजट से संबंधित
11	कार्यालय सहायक- एक (03) 11.1 श्री धर्मप्रकाश - योजना 11.2 श्री मुकेश प्र० सिंह - बजट 11. श्री ओमप्रकाश - विविध	परियोजनान्तर्गत कार्य
12	चार्टर्ड अकाउंटेंट	कार्य के अनुसार पारिश्रमिक के आधार पर

2. विभाग द्वारा आवंटित कार्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन एकक (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एकक) के दिशा-निदेश के आलोक में राज्य परियोजना फ़ैसिलिटेशन इकाई द्वारा कार्य भी संपन्न किये जायेंगे।

3. राज्य परियोजना फ़ैसिलिटेशन इकाई कार्यालय के स्थापना संबंधी व्यय का वहन योजना बजट के निम्नलिखित शीर्षों से की जायेगी:-

- (i) मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-00- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-112-इंजिनियरींग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0603- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम”(विपत्र कोड-C2203001120103) तथा
- (ii) मुख्य शीर्ष -2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-00- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-112-इंजिनियरींग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उपशीर्ष -0103- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम”(विपत्र कोड-P2203001120103)
3. पूर्व में निर्गत आदेश संख्या-1440 दिनांक-19.05.2010, 743 दि० 18.03.2013 एवं 979 दि० 11.4.2013 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(विनय कुमार)  
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (11) य-47/12/पार्ट-111

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड पटना/अवर सचिव/ लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ उप निदेशक (यो०)/प्राचार्य, एम० आई०टी० मुजफ्फरपुर/ प्राचार्य, बी०सी०ई० भागलपुर/केन्द्रीय परियोजना सलाहकार एन०पी०आई०यू० एडसिल हाउस, चतुर्थ तल, 18ए, सेक्टर 16-ए, नोएडा-201301 (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)  
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (11) य-47/12/पार्ट-111

3013 /पटना, दिनांक:- 11-11-013

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)  
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

उप 14 13/11/13